न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 81/2025 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह यादव **बनाम** उपजिला कलेक्टर खण्डार स्व0 श्री शेर सिंह यादव, निवासी 34 अल्कापुर–ए मुरलीपुरा जयपुर

GCMS No-2025/ 207

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
20.8.2025	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 13.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"झरेल ब्रीज निर्माण एमडीआर 51 हेतु अवाप्त भूमि, सेवती खुर्द के ख0न0 185 एवं 203/1 तथा नामा0 सख्या 993 दिनांक 5.12.2004 के संबंध में 7 बिन्दुओ की 'प्रमाणित'* उपजिला कलेक्टर खण्डार से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/2025/461 दिनांक 29.7.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक 212 दिनांक 14.7.2021 से बिन्दु संख्या 4 की सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अपीलान्ट का प्रार्थना अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार खण्डार को अन्तरित करते हुए अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1,3,5,6,7 की सूचना के लिए 2/–रू प्रति पेज के हिसाब से कुल 12 पेज की प्रमाणित सूचना के लिए 24/–रू जमा करवाने बाबत लिखा गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्तानुसार वांछित शुल्क जमा नही करवाने के कारण उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना व्यक्तिगत सूचना की होने से अधिनियम की धारा 8(ञ) के तहत देय नही होने के कारण अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,3,,5,6,7 की सूचनाऐ अपीलान्ट वांछित शुल्क 24/–रू जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 2 की सूचना व्यक्तिगत होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही हैं तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना के संबंध में तहसीलदार खण्डार से कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 4 की सूचना यदि अभी तक अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है तो अब 7 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है । पत्रावली फैसल शु[illegible] नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आ[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:54 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner